स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित, 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट, 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		142.49	50.86	193.35	99.74	50.66	150.40	143.00	51.47	194.47
पूंजी		*7.51*	*...*	*7.51*	*5.26*	*...*	*5.26*	*2.00*	*...*	*2.00*
जोड़		**150.00**	**50.86**	**200.86**	**105.00**	**50.66**	**155.66**	**145.00**	**51.47**	**196.47**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	3.50	0.44	3.94	4.81	0.49	5.30	4.74	0.46	5.20
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य										
भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी										
2. आयुर्वेद	2210	15.81	30.70	46.51	14.82	30.45	45.27	14.46	31.14	45.60
3. होम्योपैथी	2210	10.21	7.92	18.13	10.21	8.02	18.23	9.17	7.08	16.25
4. यूनानी	2210	10.50	7.80	18.30	11.25	7.80	19.05	11.00	8.00	19.00
5. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	2210	7.60	2.08	9.68	5.99	2.11	8.10	5.10	2.29	7.39
6. उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	7.50	...	7.50	5.25	...	5.25	15.00	...	15.00
	4552	7.50	...	7.50	5.25	...	5.25	...	...	...
	जोड़	*15.00*	*...*	*15.00*	*10.50*	*...*	*10.50*	*15.00*	*...*	*15.00*
7. अन्य	2210	50.37	1.92	52.29	28.77	1.79	30.56	41.99	2.50	44.49
	3601	37.00	...	37.00	18.64	...	18.64	41.54	...	41.54
	जोड़	*87.37*	*1.92*	*89.29*	*47.41*	*1.79*	*49.20*	*83.53*	*2.50*	*86.03*
जोड़-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य		**146.49**	**50.42**	**196.91**	**100.18**	**50.17**	**150.35**	**138.26**	**51.01**	**189.27**
8. सरकारी उद्यमों में निवेश-आई.एम.पी.सी. लि.	4210	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00
कुल जोड़		***150.00***	***50.86***	***200.86***	***105.00***	***50.66***	***155.66***	***145.00***	***51.47***	***196.47***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	22210	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	2.00	...	2.00

ग. आयोजना परिव्यय										
1. चिकित्सा ओर लोक स्वास्थ्य	22210	135.00	...	135.00	94.50	...	94.50	135.00	...	135.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	15.00	...	15.00	10.50	...	10.50	15.00	...	15.00
	जोड़	**150.00**	**...**	**150.00**	**105.00**	**...**	**105.00**	**150.00**	**...**	**150.00**

**इसमें शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

मांग संख्या 99	22210	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं** : इसमें भारतीय औषध पद्धति और होम्योपैथी विभाग की सचिवालय सेवा के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **आयुर्वेदः** इसके अंतर्गत (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी उपचार के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है, (ii) आयुर्वेद और सिद्ध में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद और (iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, जो गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का एक घटक है तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के अनुरक्षण तथा विकास सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था शामिल है। (?=) राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल, दिल्ली तथा (=) आयुर्वेद अस्पताल, लोदी रोड़, नई दिल्ली।

3. **होम्योपैथी** : इसके अन्तर्गत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद्, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकत्ता, जो एक स्वायत्त संगठन है, को अनुदान और होम्योपैथी फार्मेसी लेबोरेट्री, गाजियाबाद, जो इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, जो एक संविधिक निकाय है, के लिए प्रावधान करने के अतिरिक्त होम्योपैथिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा बढ़ाने के लिए अनुदान की व्यवस्था भी शामिल है।

4. **यूनानी** : इसमें (i) यूनानी औषधियों में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद (ii) राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बैंगलोर (अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं जन स्वास्थ्य की देखभाल का एक आदर्श संस्थान), जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन हैं, के लिए प्रावधान शामिल है।

5 **योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा** : इसमें केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे, के लिए अनुदान का प्रावधान है।

6. इस मांग में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/योजनाओं हेतु वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों में 15 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था को शामिल किया गया है।

7. **अन्य** : इसमें औषधीय पौधों, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की अभिनव योजनाओं की स्कीम अनुसंधान संस्धान के माध्यम से अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान परियोजना, सूचना, शिक्षा तथा संचार, अन्तर्राष्ट्रीय अदान-प्रदान कार्यक्रम, पेटेंटसैल तथा सांविधिक संस्थान अर्थात, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सीसीआईएम), केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच), भारतीय होम्योपैथी फार्मैसी परिषद, आईएसएम फार्मेसी परिषद आदि हेतु व्यवस्था है। इसके अलावा, इसमें पीएलआईएम, गाजियाबाद भी शामिल है जो भारतीय औषध पद्धति तथा होम्योपैथी व्यवस्था के उपयोग तथा स्वीकार्यता से संबंध विभाग तथा सर्वेक्षण के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय है।

इसमें भारतीय औषध-पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान विभाग के उन्नयन, भारतीय औषध-पद्धति और होम्योपैथी यू.जी. कालेजों का उन्नयन, भारतीय-पद्धति और होम्योपैथी विभाग में चिकित्सकों, शिक्षकों, टेक्निशीयनों और अनुसंधानकर्ताओं का प्रशिक्षण तथा राज्य औषध जांच प्रयोगशालाओं/औषधालयों के लिए व्यवस्था है।

इसमें नवीन योजनाओं अर्थात सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ क्लीनिक टीकेडीएल, औषधि परिषदों को आरम्भ करने, जिला अस्पतालों में आईएसएम विंग की स्थापना, होटलों में आयुर्वेदा पार्क/पंचकर्म, आईएसएम एंड एच उद्योगों को प्रोत्साहन, विभिन्न राज्यों में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में आयुर्वेद, सिद्ध युनानी तथा होम्योपैथी औषधालयों के लिए आवश्यक औषधि, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।

8. **सरकारी उद्यमों में निवेशः** इंडियन मेडिसिन फार्मस्युटिकल कारपोरेशन, रानीखेत की कुमाऊं मंडल विकास निगम (उ.प्र. सरकार का उपक्रम) के साथ संयुक्त भागीदारी है जो भारतीय तथा होम्योपैथी पद्धति की दवाएं सरकारी संस्थाओं आदि को तथा खुले बाजार में बिक्री हेतु आपूर्ति करता है।